

यू0एस0 तोमर

कुलसचिव



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ0 प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय)

आई0ई0टी0परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021

दूरभाष: 0522-2732193 फैक्स: 0522-2732185

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/2012/58304-8

दिनांक: 14-2-12

सेवा में,

निदेशक,

राजश्री इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालाजी,
बरेली।

विषय:- संस्था को शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2723/सोलह-1-2010-13(13)/2010 दिनांक 19.07.2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परिषद के द्वारा अपनी बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 में एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी।

1. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा छात्रों से ली गयी फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
 6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2012-13 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
 7. संस्था का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. जिन संस्थाओं की अभातिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जाँच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
 9. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।
- उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,


(यू0 एस0 तैमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महा. कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।


(यू0 एस0 तैमर)
कुलसचिव